संख्या: 4/2017/271/ सत्रह - म- 2017-6-9 (333)/2016 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिंनाक 25 मार्च,2017

विषय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016 में नई योजना के रूप में संचालित ''ब्लू रिवोल्यूशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज'' (मछुआ आवास योजना को छोडकर) योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या -700 /नि0शा0/2016 –17 दिनांक 26-12-2016 एवं पत्र संख्या - 88 /नि0शा0/2016 –17 दिनांक 16-02-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016 -17 में अनुपूरक मांग के माध्यम से अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405 – मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0102-'' ब्लू रिवोल्यूशन इन्ट्रीग्रेटेड एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज '' योजना (राज्यांश),20- सहायता अनुदान –सामान्य (गैरवेतन) में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 2000.00 लाख (बीस करोड मात्र) उपलब्ध करायी गयी है। भारत सरकार के पत्र संख्या – 31013/06/06/2016- एफ0वाई0 दिनांक 18 अगस्त, 2016 के द्वारा प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश रू0 800.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं (मछुआ आवास योजना को छोडकर) में कुल धनराशि रू0 850.49 लाख (रू0 आठ करोड पचास लाख उनचास हजार मात्र) जिसमें केन्द्रांश 563.43 (रू0 पॉच करोड तिरसठ लाख तैतालिस हजार मात्र) एवं मैचिंग राज्यांश रू0 287.06 लाख (दो करोड सत्तासी लाख छः हजार मात्र) सम्मिलित है, को श्री राज्यपाल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

महोदय द्वारा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिकानुसार आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

तालिका

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	लक्ष्य	परियोजना लागत	कुल बजट			अवमुक्त धनरशि (प्रथम किश्त)			जनपदवार विवरण
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नये तालाबों का निर्माण	21.961 (हे0)	154.00	77.00	38.50	115.50	34.98	17.50	52.48	मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 700/ नि0शा0/2016-17 दिनांक 26-12-2016 द्वारा संलग्नक के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट के अनुसार
2	फिश सीड रियरिंग	20 (हे0)	120.00	60.00	30.00	90.00	27.26	13.63	40.89	
3	मत्स्य पालन हेतु इनपुट कास्ट क- नये तालाबों में निवेश ख- सुधारे गये तालाबों में निवेश	347.00 (हे0) 21.961 (हे0) 325 (हे0)	520.50	260.25	130.125	390.375	118.24	59.08	177.32 166.10 11.22	
4	तालाब सुधार	325 (हे0)	1137.50	568.75	284.375	853.125	258.40	129.20	387.60	
5	आर्वेरिशा आइस बाक्स सहित	06 संख्या	12.00	6.00	3.00	9.00	6.00	3.00	9.00	
6	बाईसिकल आइस बाक्स सहित	84 संख्या	2.52	1.26	0.63	1.89	1.26	0.63	1.89	
7	मोटर साइकिल आइस बाक्स सहित	56 संख्या	33.60	16.80	8.40	25.20	16.80	8.40	25.20	
8	मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना	10 संख्या	250.00	125.00	62.50	187.50	56.79	28.40	85.19	
9	लघु फिश फीड मिल	01 संख्या	10.00	5.00	2.50	7.50	2.27	1.13	3.40	
10	सोलर पावर एक्वाकल्चर	09 संख्या	135.00	67.50	33.75	101.25	30.67	15.33	46.00	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

11	प्रशासनिक व्यय	-	47.38	23.69	23.69	47.38	10.76	10.76	21.52	मत्स्य निदेशालय स्तर से किया जायेगा
	योग		2422.5	1211.05	617.47	1828.72	563.43	287.06	850.49	

(रू0 आठ करोड पचास लाख उनचास हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0 /डाकघर /बैंक में नही रखा जायेगा।

(2) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(3) क्रय की जाने वाली सामग्री के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(4) प्रश्नगत धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय सुनिश्चित किया जायेगा ।

(5) जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(6) शासकीय व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(7) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत '' ब्लू रिवोल्यूशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज '' योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स संख्या- 20 /2016/ 2362 /सत्रह- म- 2016 -6-9(333) / 2016 दिनांक 24 दिसम्बर 2016 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ /हो रहा है ।

2- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 अनुदान संख्या- 17, लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन,101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0102- ''ब्लू रिवोल्यूशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज ''योजना (राज्यांश), 20- सहायता अनुदान –सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3- यह आदेश वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22-03-2016 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

4 - यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव ।

संख्या : 4/ 2017/ 271/ सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ सूचनार्थ प्रेषित कि ''ब्लू रिवोल्यूशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज'' (मछुआ आवास योजना को छोडकर) योजनान्तर्गत निर्गत स्वीकृतियों के सम्बंध में तत्काल अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
4- वित्त् एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
5- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
6 -सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3 ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com